न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।

परिवाद सं0–42122/2022

हारून जफर बनाम फहीम इरफान आदि।

24.11.2022 :–

पत्रावली पेश। पुकारा गया। पुकार पर परिवादी अथवा उसके अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रकरण दिनांक 25.07.2022 को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया था, परन्तु परिवादी तथा उसके विद्वान अधिवक्ता अधिकांश नियत दिनांक पर उपस्थित नहीं आए। दिनांक 03.11.2022 को परिवादी उपस्थित आया, परन्तु आज तक उनके द्वारा 200 सीआर.पी. सी. के बयान अंकित नहीं कराये हैं। पत्रावली साक्ष्य अंतर्गत धारा–200 दं0प्र0सं0 में नियत है, परन्तु परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। दिनांक 16.11.2022 को परिवादी को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया, किन्तु आज भी परिवादी अनुपस्थित है तथा न ही उसके विद्वान अधिवक्ता की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। परिवादी द्वारा अपने परिवाद को सम्पुष्ट कराने हेतु किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः ऐसे में विपक्षीगण को तलब किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। परिवदी के आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी अपने परिवादपत्र पर बल देना नहीं चाहता है। परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा–203 दं0प्र0सं0 के तहत निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादी का परिवाद अंतर्गत धारा–203 द0प्र0सं0 के तहत निरस्त किया जाता है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

(स्मिता गोस्वामी)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कोर्ट सं0–4, मुरादाबाद।
J.O. CODE-UP2323